पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

रण संख्या -410 / 2024

ान :

1. करनैल सिह उर्फ जरनैल सिह पुत्र हरचंदसिह जाति छीपां (छीपी) निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. वीरपाल कौर पुत्री राजवीर कौर पत्नी विकास जाति छीपां (छीपी) निवासी वार्ड नं0 02, कंवरपुरा तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. करनैलसिह पुत्र हरचंद सिह जाति छीपा (छीपी) निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. गुरचरण सिह पुत्र हरचंदसिह जाति छीपां (छीपी) निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः-1 अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद वर्मा :-वादी

2 अधिवक्ता करनैलसिह :-प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 11/2/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं0 5 एनडीआर के खाता सं0 20/19 में अंकित कुल 8.096 है0 मे से प्रतिवादीया सं0 1 के 5/16 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 5 एनडीआर ए के खाता सं0 20/19 में से वीरपाल कौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner